न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनियॉ आर.ए.एस

अपील सं0 2022 / 200

आरसीएमएस नं. 200 / 2022

कृष्ण कुमार पुत्र श्री शंकरलाल बउम्र 48 वर्ष जाति सोरगर निवासी सोरगर मोहल्ला, वार्ड नं. 36, हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ। –अपीलान्ट

बनाम

1. बलवंत पुत्र गौरीशंकर जाति सोरगर निवासी श्रीनगर तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. श्रवण पुत्र गौरीशंकर निवासी नजदीक भटनेर दुर्ग, सोगर मोहल्ला, वार्ड नम्बर 36 हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. प्रदीप नाबालिग पुत्र लेखराम जरिये कुदरती वली माता मंजू पत्नी लेखराम जाति सोरगर निवासी नजदीक भटनेर दुर्ग सोगर मोहल्ला, वार्ड नम्बर 36 हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ।
4. रवि नाबालिग पुत्र लेखराम जरिये कुदरती वली माता मंजू पत्नी लेखराम जाति सोरगर निवासी नजदीक भटनेर दुर्ग सोरगर मोहल्ला, वार्ड नम्बर 36 हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ।
5. भागो देवी पत्नी स्व रमेश पु0 मोहनलाल जाति सोरगर निवासी नजदीक भटनेर दुर्ग सोगर मोहल्ला, वार्ड नम्बर 36 हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ।
6. काके पुत्र स्व0 रमेश पुत्र स्व0 मोहनलाल जाति सोरगर निवासी नजदीक भटनेर दुर्ग सोगर मोहल्ला, वार्ड नम्बर 36 हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ।
7. स्तपाल पुत्र स्व0 रमेश पुत्र स्व0 मोहनलाल जाति सोरगर निवासी नजदीक भटनेर दुर्ग सोगर मोहल्ला, वार्ड नम्बर 36 हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ।
8. मीना देवी पुत्री स्व रमेश पत्नी श्यामूराम जाति सोरगर निवासी ललूवाल अकांवाली (101) फतेहाबाद हरियाणा।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

9. गुड्डी देवी पुत्री स्व0 मोहनलाल पत्नी स्व हंसराज जाति सोगर निवासी गुरूद्वारा के पास रविदास मंदिर के सामने, सिरसा तहसील व जिला हरियाणा।
10. मुन्नी पुत्री स्व0 मोहनलाल पत्नी रतीराम जाति सोगर निवासी गुरूद्वारा के पास रविदास मंदिर के सामन, सिरसा तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
11. बबलू पुत्र शंकरलाल जाति सोरगर निवासी नजदीक भटनेर दुर्ग सोगर मोहल्ला, वार्ड नम्बर 36 हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ।
12. जगदीश पुत्र शंकरलाल जाति सोरगर निवासी नजदीक भटनेर दुर्ग सोगर मोहल्ला, वार्ड नम्बर 36 हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ।
13. विनोद पुत्र श्री शंकरलाल जाति सोरगर निवासी नजदीक भटनेर दुर्ग सोगर मोहल्ला, वार्ड नम्बर 36 हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ।
14. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ
15. हरपाल सिंह पुत्र बलतेज सिंह जाति जटसिख निवासी 1 एस.एन.एम. तहसील व जिला हनुमानगढ। —रेस्पोडेण्ट

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्व आदेश दिनांक 18.10.2021
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ।
प्र0 संख्या 271/2021 बअनवान कृष्ण कुमार बनाम बलवंत आदि

श्री राजेश दीपराय अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री प्रद्युमन परमार अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट 1, 2, 5, 6, 7
श्री रविन्द्र कुमार भोबिया अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 14

निर्णय दिनांक – 04.01.2023

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष घोषणात्मक आज्ञाप्ति एवं शाश्वत व्यादेश हेतु वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अधिनियम प्रस्तुत किया जिसके साथ धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र में अपीलाण्ट ने कथन किया कि उसके द्वारा रामीदेवी के वारिसान से 9 बीघा भूमि खरीद करने के बाद अन्य खातेदारों के साथ अच्छी मंदी के लिहाज से उपरोक्त भूमि का घरू बंटवारा विभाजन हुा। उक्त विभाजन में प्रार्थी को चक 19 एचएमएच की प्रश्नगत 1.472 है0 कृषि भूमि प्राप्त हुई। उपरोक्त भूमि अपीलाण्ट के आधिपत्य व धारण में है लेकिन राजस्व अभिलेख का नाजायज फायदा उठाते हुए प्रार्थी को उक्त कृषि भूमि से बेदखल कर भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल करने हेतु कटिब्द्ध है। यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना–पत्र में वर्णितानुसार अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायलाय ने प्रकरण को दर्ज करते हुए अस्थाई अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय अपीलांट के प्रार्थना–पत्र में दर्ज कब्जे के सम्बन्ध में अपने आक्षेपित आदेश में इसका विवेचन कर आदेश किया जाना आवश्यक था लेकिन अधीनस्था न्यायलाय ने इस पर कोई आदेश पारित नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायलाय ने प्रथम दृष्टया माला, सुविधा का सन्तुलन व अपरिमेय क्षति के बिन्दू अपीलाण्ट के पक्ष में साबित थे। उक्त परिस्थितियों में कब्जे की हद तक अपीलांट का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य था व रिकार्ड की यथास्थिति व रहन बैय के साथ साथ कब्जे के सम्बन्ध में भी आदेश पारित किया जाना आवश्यक था, लेकिन अधीनस्थ न्यायलाय ने इस बिन्दू को नजर अंदाज किया है। प्रश्नगत भूमि अपीलांट के कब्जा काश्त में है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में सीसीसी 2017 (2) पेज 208, 2013 डीएनजे पेज 18, 2013 डीएनजे पेज 89, 2015 डीएनजे पेज 281, आरआरटी 2019 (1) पेज 172, आरएलडब्ल्यू 2013

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

(1) पेज 703, आरआरटी 2016 (2) पेज 1144 आरआरटी 2014–15 पेज 657 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एकपक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त किया था जिसमें दोनों पक्षों को सुनकर ही निर्णय किया जाना था। अपीलाण्ट ने यह अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध पेश की है। अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। प्रकरण में उभयपक्षों को सुनकर गुणावगुण पर निर्णय किया जाना है। अपीलाण्ट बिना किसी आधार के एकपक्षीय मौका रिकार्ड की यथास्थित का स्थगन आदेश चाहता है जो विधि सम्मत नही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवकता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2018–19 पेज 497 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध प्रश्नगत भूमि के चक 19 एचएमएच की 1.472 है0 भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करने उपरोक्त भूमि से प्रार्थी को बेदखल करने व भूमि को अनय व्यक्तियों को रहन बैय व मुन्तकिल नहीं करने की अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष मांगा था। विचारण न्यायालय ने प्रकरण को दर्ज करते हुए दिनांक 18.10.2021 को एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी करते हुए प्रश्नगत भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने एवं रहने बैय न करने का स्थगन आदेश जारी किया है। इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एकपक्षीय है एवं अंतरिम आदेश है। उभयपक्षों के उपस्थित आने पर धारा 212 आरटीएक्ट के प्रार्थना–पत्र का निस्तारण किया जाना है। परन्तु अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी का इंतजार किये बिना ही सीधे ही उक्त आदेश की अपील पेश कर दी है। जबकि अपीलाण्ट के पास अपने तथ्यों को रखने के लिए अधीनस्थ न्यायालय में पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। अपीलाण्ट को अपने कथन अधीनस्थ न्यायालय में दोनों अप्रार्थी की उपस्थिति में करने चाहिए। यह अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक ....04.01.23....को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5.1.23

(करतारसिह पूनियाँ)
आर.ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़ (राज.)